

कार्यालय
आयकर आयुक्त कार्यालय,
अजमेर

क्रमांक: आयुक्त/न्याय/धारा 12ए/ 2008

दिनांक: 24.12.2008

आदेश

विषय:- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के
अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण

राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान, 496/34, पाल बीचला, अजमेर ने जो दिनांक 02.12.1992 के न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन द्वारा गठित है, दिनांक 28.04.2008 को निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। पंजीकरण दिनांक 28.04.2008 से प्रभावी माना जाये।

प्रार्थना-पत्र को धारा 12ए के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में संख्या न्यास/संस्था 15/56 में दर्ज किया गया है।



प्रतिलिपि

(प्रभु दयाल मीणा)
आयकर आयुक्त,
अजमेर

1. अध्यक्ष/न्यासी/ राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान, 496/34, पाल बीचला, अजमेर।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(1), अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिनेश कजोत)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
कृते आयकर आयुक्त, अजमेर।